"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 69] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी 2018 — फाल्गुन 4, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2018 (फाल्गुन 4, 1939)

क्रमांक-3034/वि. स./विधान/2018. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ निरसन विधेयक, 2018 (क्रमांक 5 सन् 2018), जो शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2018 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 5 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ निरसन विधेयक, 2018

कतिपय अधिनियमितियाँ, जो अप्रचलित हो चुकी है और जिनका अस्तित्व, पृथक अधिनियम के रूप में अनावश्यक हो गया है, को निरसित करने के लिये तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निरसन अधिनियम, 2018 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

निरसन. 2. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, उसके चौथे कॉलम में वर्णित सीमा तक एतद्द्वारा निरसित की जाती है.

व्यावृत्ति. 3. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का निरसन, किसी ऐसी अन्य अधिनियमिति पर प्रभाव नहीं डालेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, निगमित या निर्दिष्ट की गई हो;

और यह अधिनियम, पहले की गई या हो चुकी किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर अथवा पहले ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व पर या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही पर अथवा किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग की या उसकी किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन पर अथवा पहले ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति पर अथवा भूतकाल में किये गये किसी कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा;

और न यह अधिनियम, विधि के किसी सिद्धांत या नियम पर अथवा स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति पर, इस बात के होते हुये भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमशः किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा, जो कि एतद्द्वारा निरसित है, उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यता प्राप्त है या व्युत्पन्न है;

और न इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा.

अनुसूची

(धारा 2 देखिये)

निरसन

वर्ष (1)	क्र. (2)	संक्षिप्त नाम (3)	निरसन की सीमा (4)
1876	छ:	छोटा नागपुर भारग्रस्त संपदा अधिनियम, 1876	संपूर्ण
1881	अट्ठारह	मध्य प्रांत भू-राजस्व अधिनियम, 1881	संपूर्ण
1898	ग्यारह	मध्य प्रांत किरायेदारी अधिनियम, 1898	संपूर्ण
1899	चौबीस	मध्य प्रांत प्रतिपाल्य न्यायालय अधिनियम, 1899	संपूर्ण
1908		मध्य प्रांत वित्तीय आयुक्त अधिनियम, 1908	संपूर्ण

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, अप्रचलित और निरर्थक विधियों को, निरसित करने के लिये केन्द्र सरकार की ऐसी नीति को दृष्टि में रखते हुये, जो अपनी उपयोगिता खो चुकी है, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग ने विभागीय आदेश पत्र क्रं. 1 (53)/2017-एल. आई, दिनांक 18-08-2017 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित अधिनियमितियों को मान्यता दी है, जो अप्रचलित, असंगत तथा अनावश्यक हो गये हैं और जिसे राज्य शासन द्वारा निरसित किया जाना है;

और तद्नुसार, उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के क्रम में एवं उपरोक्त उल्लिखित प्रस्ताव के अनुपालन के लिये राज्य में अप्रचलित, असंगत तथा अनावश्यक अधिनियमितियों को निरसित करने के लिये इस विधेयक को तैयार किया गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 16 फरवरी, 2018

महेश गागड़ा
वन मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ निरसन विधेयक, 2018 का सुसंगत उद्धरण

विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, विधायी विभाग नई दिल्ली ने विभागीय आदेश पत्र क्रं. 1 (53)/2017-एल. आई, दिनांक 18-08-2017 के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित ऐसे अधिनियमों जो उक्त आदेश में उल्लेखित है और जो अप्रचलित, असंगत तथा अनावश्यक हो गये हैं का छत्तीसगढ़ विधायनी द्वारा निरसित किया जाना अपेक्षित है.

अत: उक्त केन्द्र सरकार की ऐसी नीति के अनुसरण में ऐसे अनुपयोगी अधिनियम जिनका निरसन प्रस्तावित है, की सूची निम्नानुसार है :-

वर्ष (1)	क्र. (2)	संक्षिप्त नाम (3)	निरसन की सीमा (4)
1876	छ:	छोटा नागपुर भारग्रस्त संपदा अधिनियम, 1876	संपूर्ण
1881	अट्ठारह	मध्य प्रांत भू-राजस्व अधिनियम, 1881	संपूर्ण
1898	ग्यारह	मध्य प्रांत किरायेदारी अधिनियम, 1898	संपूर्ण
1899	चौबीस	मध्य प्रांत प्रतिपाल्य न्यायालय अधिनियम, 1899	संपूर्ण
1908		मध्य प्रांत वित्तीय आयुक्त अधिनियम, 1908	संपूर्ण

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.